न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीणा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 118/2024

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड।

प्रार्थी,

बनाम

श्रीमती प्रभाती पत्नी श्री पांचूराम, जाति–माली, निवासी–प्रतापनगर, झोटवाडा, जयपुर। (मृतक)

1/1 श्यामलाल पुत्र श्री पांचूराम, जाति–माली, निवासी–57, प्रतापनगर, कण्डीरा मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

1/2 पूरणमल पुत्र श्री पांचूराम, जाति–माली, निवासी–57, प्रतापनगर, कण्डीरा मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

1/3 लाली पुत्री श्री पांचूराम, जाति–माली, निवासी–57, प्रतापनगर, कण्डीरा मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

1/4 नानची पुत्री श्री पांचूराम, जाति–माली, निवासी–57, प्रतापनगर, कण्डीरा मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

1/5 विमला पुत्री श्री पांचूराम, जाति–माली, निवासी–57, प्रतापनगर, कण्डीरा मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

1/6 मनभरी पुत्री श्री पांचूराम, जाति–माली, निवासी–57, प्रतापनगर, कण्डीरा मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

1/7 कोयली पुत्री श्री पांचूराम, जाति–माली, निवासी–57, प्रतापनगर, कण्डीरा मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

1/8 नैना पुत्री श्री पांचूराम, जाति–माली, निवासी–57, प्रतापनगर, कण्डीरा मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

1/9 छोटा पुत्री श्री पांचूराम, जाति–माली, निवासी–57, प्रतापनगर, कण्डीरा मार्ग, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 27.04.2026

तहसीलदार, जयपुर हाल कालवाड द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–मण्ढाभोपावास की आराजी खसरा नं0 308 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में पंडित गोपी वल्लभ जी कॉलम संख्या 4 नाम

उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी वहतमाम पुजारी हरीदास पुत्र गणेशदास 1/2 भगवान काना सीताराम गोपाल हि0 1/4 काशीदास बंशीदास पि0 औंकार 1/16 छीतर बोदू पि0 रूपनारायण हि0 1/16 कल्याण लादूराम पि0 मूलचन्द 1/16 मोहनदास देवीलाल पि0 माधोदास हि0 1/16 ब्राहाम्ण साकिन देह व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में जगन्नाथ वल्द लाला जाट साकिन दर्ज है। सम्वत् 2020–2023 की जमाबन्दी में माफी मंदिर का नाम बिना वैध आदेश के विलोपित होकर भू–प्रबन्ध खतौनी के कालम संख्या 5 में अंकित काश्तकार जगन्नाथ पुत्र लाला जाट के नाम कर दी गई । नामा0 संख्या 45 से जगन्नाथ की विरासत करते हुऐ बोदू वगैराह के नाम तस्दीक किया गया। तत्पश्चात् नामा0 संख्या 245 विक्रय से प्रभाती के नाम दर्ज है। जो पुनः मन्दिर श्री ठाकुर जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र मय स्थगन प्रार्थना तहसीलदार, जयपुर द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर में प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया और आज्ञा दिनांक 19.01.2005 द्वारा प्रकरण अधीन आराजी की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने एवं जमाबन्दी में भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी की होने से रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है इस आशय का नोट अंकित किये जाने के आदेश दिये गऐ। श्रवण क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप अग्रिम विचारण एवं निस्तारण हेतु प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने विद्वान् पेरोकार सराकर की बहस सुनी। विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी वहतमाम पुजारी हरीदास पुत्र गणेशदास 1/2 भगवान काना सीताराम गोपाल हि0 1/4 काशीदास बंशीदास पि0 औंकार 1/16 छीतर बोदू पि0 रूपनारायण हि0 1/16 कल्याण लादूराम पि0 मूलचन्द 1/16 मोहनदास देवीलाल पि0 माधोदास हि0 1/16 ब्राहाम्ण साकिन देह व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में जगन्नाथ वल्द लाला जाट साकिन दर्ज है। सम्वत् 2020–2023 की जमाबन्दी में माफी मंदिर का नाम बिना वैध आदेश के विलोपित होकर भू–प्रबन्ध खतौनी के कालम संख्या 5 में अंकित काश्तकार जगन्नाथ पुत्र लाला जाट के नाम कर दी गई । नामा0 संख्या 45 से जगन्नाथ की विरासत

करते हुऐ बोदू वगैराह के नाम तस्दीक किया गया। तत्पश्चात् नामा0 संख्या 245 विक्रय से प्रभाती के नाम दर्ज है और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाश्त भूमि में प्राप्त हो गये हैं। माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी की खुदकाश्त की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई है तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितो की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गऐ है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस मन्दिर श्री ठाकुर जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में मन्दिर श्री ठाकुर जी दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक

शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी अथवा अन्य द्वारा काश्त भी की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी अथवा अन्य को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। मन्दिर श्री ठाकुर जी की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित मन्दिर श्री ठाकुर जी की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2057–2060 में निजी खातेदारी अप्रार्थी के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 45, 265 मण्ढाभोपावास वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस मन्दिर श्री ठाकुर जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 15.06.2026 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मंवराज सिंह मीना)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर